न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज, (जू0डि0) काशीपुर,
जिला उधम सिंह नगर।
फौजदारी परिवाद संख्या–4819/2022
कम्प्यूटर संख्या–1787/2022
कोमल प्रति संजय

दिनांक 29.05.2025

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

2. पत्रावली आज परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143ए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के निस्तारण/परिवादिनी से प्रतिपरीक्षा हेतु नियत है।

3. आज परिवादिनी कोमल की प्रतिपरीक्षा बतौर पी0 डबलू–1 अंकित की गयी।

4. पूर्व तिथि पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को उपरोक्त प्रार्थना पत्र व आपत्ति पर सुना जा चुका है। इस आदेश द्वारा परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत् धारा 143ए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 एवं बचाव पक्ष की आपत्ति का निस्तारण किया जा रहा है।

*निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत् धारा 143ए परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 एवं अभियुक्त की आपत्ति*

3. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रार्थिनी/परिवादिनी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त परिवाद में अभियुक्त ने माननीय न्यायालय में अपनी जमानत करा ली है और वर्तमान में जमानत पर रिहा है। उपरोक्त परिवाद में अभियुक्त ने धारा 251 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान अंकित हो चुका है तथा पत्रावली परिवादी साक्ष्य में है। प्रार्थिनी/परिवादी को उपरोक्त मुकदमें की पैरवी हेतु तथा स्वयं एवं परिवार के भरण पोषण हेतु रूपयो की आवश्यकता है और धारा 143(ए) एन0आई0एक्ट के अंतर्गत चैक की धनराशि के बीस प्रतिशत तक धनराशि दिलाये जाने का प्रावधान है। पत्रावली में सलंग्न चैक की धनराशि मु0 3,00,000/–रूपये अंकित है, जिसका 20 प्रतिशत 60,000/–रूपये अभियुक्त से प्रार्थिनी/परिवादी को दिलाये जाना न्यायाहित में अति आवश्यक है, और यदि उक्त धनराशि प्रार्थिनी/परिवादी को न दिलायी गई तो प्रार्थिनी/परिवादी को काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा। प्रार्थिनी/परिवादी को अभियुक्त से धारा 143(ए) एन0आई0एक्ट के अंतर्गत

अन्तरिम प्रतिकर के रूप में 20 प्रतिशत की धनराशि मु0 60,000/–रूपये दिलाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

4. आपत्तिकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थी, अभियुक्त है तथा उपरोक्त मामले से पूर्ण रूप से वाकिफ है। परिवादी ने उपरोक्त वाद में दिनांक 06.02.2025 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत् धारा 143(ए) एन0आई0एक्ट प्रस्तुत किया है। जो निराधार है निरस्त होने योग्य है। अभियुक्त को उक्त मुकदमें में सफलता की पूर्ण आशा है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है अभियुक्त इस समय कोई भी धनराशि देने में असमर्थ है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 143(ए) एन0आई0एक्ट दिनांकित 06.02.2025 को निरस्त करने की कृपा करें।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. उभयपक्ष को सुनने तथा पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि परिवादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चैक में वर्णित धनराशि का 20 प्रतिशत अंतरिम प्रतिकर के रूप में दिलवाये जाने की प्रार्थना की गयी है, जिसपर अभियुक्त की ओर से आपत्ति की गयी है।

7. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143–क यह प्रावधानित करती है कि–

<u>धारा– 143–क. अंतरिम प्रतिकर का निदेश देने की शक्ति–</u> (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चैक के लेखीवाल को–

(क) संक्षित विचारण या समन मामले में, जहॉ परिवाद में उसने किये गये अभियोग का दोषी नहीं होने का अभिवाक किया हो,

(ख) अन्य किसी मामले में, आरोप विरचित किये जाने पर, परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अंतरिम प्रतिकर चैक की रकम के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) अंतरिम प्रतिकर का, उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या चैक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, संदाय किया जाएगा।

8. उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन विचारण करने वाला न्यायालय चैक के लेखीवाल को, संक्षिप्त विचारण या समन मामले में, जहॉ परिवाद में उसने किये गये अभियोग का दोषी नहीं होने का अभिवाक किया हो– परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकता है।

9. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि दिनांक 02.07.2024 को अभियुक्त के बयान अंतर्गत् धारा 251 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त द्वारा दोषी होने का अभिवचन नहीं करते हुए प्रतिरक्षा चाही गयी है तथा अभियुक्त द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मैंने परिवादिनी के पति को सिक्योरिटी के तौर पर चैक दिया था।

10. पत्रावली वर्तमान में परिवादी साक्ष्य हेतु नियत चली आ रही है। हस्तगत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वर्णित प्रावधान के अंतर्गत् अभियुक्त से अंतरिम प्रतिकर के रूप में परिवादिनी को चैक में वर्णित धनराशि मु0 3,00,000/–रूपये का 05 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) दिलाया जाना न्यायोचित विदित होता है।

आदेश

प्रार्थिनी/परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत् धारा 143–क परक्राम्य लिखत अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की तिथि से 60 दिन के भीतर परिवादी को चैक, चैक संख्या 656142 दिनांकित 11.07.2022 में वर्णित धनराशि 3,00,000/–रूपये (तीन लाख रूपये) का 05 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) अर्थात् मुव0–15,000/–रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) अदा करें।

पत्रावली वास्ते शेष परिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक 27.06.2025 को पेश हो।

(चेतन सिंह गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज, (जू0डि0)
काशीपुर जिला उधम सिंह नगर।